

पृष्ठ संख्या १ से ५७ तक  
मध्य में से पृष्ठ कट गए हैं

पी ई सी लिमिटेड : नई दिल्ली

कर्मचारियों के आचरण, अनुज्ञापन तथा शपथ संबंधित

नि य मा त्वा , १९७५.

पी ई सी लिमिटेड : नई दिल्ली

टिप्पणी : किसी विवाद की स्थिति में संरोजी प्रति द्वे पन्थ लेगी ।

पो ई सी लिमिटेड : नई दिल्ली

कर्मचारियों के लिए आचरण, अनुज्ञापन

तथा अपील संबंधी नियमावली

१९७५

नियम १ संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- १) ये नियम "पोईसी लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आचरण, अनुज्ञापन तथा अपील संबंधी नियमावली, १९७५" कहे जाएंगे।
- २) ये नियम १९.१०.१९७६ से लागू होंगे।

नियम २ लागू क्षेत्र

ये नियम अनियमित रोजगार पर लगे कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को छोड़कर आकस्मिकता निधि से अद्ययुक्तों को लागू होंगे, तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे।

नियम ३ परिभाषा

उक्त तक कि प्रयोग में अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में :-

- क) कर्मचारी :- का अर्थ है निगम के अनियमित, कार्य प्रभावीत या आकस्मिक व्यक्त को छोड़कर निगम द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। "कर्मचारी" शब्द के अंतर्गत वह कर्मचारी भी शामिल होगा जिसकी सेवाएं सरकार के स्वायत्त नाली किमा कम्पनी, निगम, संगठन या किसी स्थानीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार या रेल विभाग के नियंत्रण में नियंत्रित की गई है, घटे हैं उसे निगम की निधियों की बजाय अन्य किसी स्रोत से वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ पहली में प्रदानकृत व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा।
- ख) निगम :- का अर्थ है पोईसी लिमिटेड।
- ग) जोड़ :- का अर्थ है निगम का निदेशक जोड़ तथा तब तक शक्तियों के इस्तेमाल

.....३/-